

रिनन्सिएशन: क्या साथ लाएँ।

जैसे-जैसे आगे बढ़ें, चीजों पर निशान लगाते जाएँ (हम इस डिवाइस पर उन्हें याद रखेंगे)। ज़रूरतें बदलती रहती हैं, इसलिए कुछ भी फ़ाइल करने से पहले हम मौजूदा आधिकारिक लिस्ट जाँचते हैं।

दस्तावेज़

- ☐ आपका पिछला भारतीय पासपोर्ट (खो जाने पर उसकी जानकारी और पासपोर्ट खोने का नोटरी किया हुआ एफ़िडेविट)
- ☐ अमेरिकी पासपोर्ट
- ☐ अमेरिकी नैचुरलाइज़ेशन सर्टिफ़िकेट (कॉपी)
- ☐ अमेरिकी पते का सबूत
- ☐ दो 2x2 फ़ोटो, साथ में अपलोड के लिए फ़ोटो और साइन
- ☐ सरेंडर सर्टिफ़िकेट के दो साइन किए हुए फ़ॉर्म
- ☐ किसी भी मौजूदा भारतीय वीज़ा या OCI कार्ड की कॉपी

आधिकारिक स्रोत

Passport Seva: मिशन पोर्टल (<https://mportal.passportindia.gov.in/mission/>)

VFS Global: अमेरिका में भारतीय कॉन्सुलर सेवाएँ (<https://services.vfsglobal.com/usa/en/ind/>)

यह सिर्फ़ सामान्य जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। ज़रूरतें बदलती रहती हैं; अपने केस की मौजूदा लिस्ट की पुष्टि के लिए 463-301-9000 पर कॉल या टेक्स्ट करें।

Gosal Immigration कोई लॉ फ़र्म नहीं है। हम इंडियाना में वकालत करने के लिए लाइसेंस प्राप्त वकील (अटॉर्नी) नहीं हैं, और हम कानूनी सलाह नहीं दे सकते, न ही कानूनी सलाह के लिए फ़ीस ले सकते हैं। हमारा USCIS, अमेरिकी विदेश विभाग, भारत सरकार या किसी भी सरकारी एजेंसी से कोई संबंध नहीं है।

नोटरी सूचना: मैं इंडियाना में वकालत करने के लिए लाइसेंस प्राप्त वकील नहीं हूँ। मुझे कानूनी दस्तावेज़ तैयार करने, इमिग्रेशन सहित कानूनी मामलों पर सलाह देने, या इन कामों के लिए फ़ीस लेने की अनुमति नहीं है।

Notary notice (IC 33-42-13-3): I am not an attorney licensed to practice law in Indiana. I am not allowed to draft legal records, give advice on legal matters, including immigration, or charge a fee for those activities.